न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर :– 242/2025
GCMS NO. 2025/63

सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री मुंशीलाल कुमावत उम्र 43 वर्ष जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) (9636028367)
.....वादी

– ब ना म –

1. सरपंच ग्राम पंचायत काकोड़ा पंचायत समिति सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत – घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार	वादी	स्वयं
2. श्री संदीप कुमार (सरपंच)	प्रतिवादी	संख्या 1

–: निर्णय :– दिनांक :– **18.07.2025**

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से दिनांक **27.06.2025** को इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाके राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 128 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 कुल किता 22 कुल रकबा 4.80 हेक्टेयर की खातेदारी जोरावर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह हिस्सा 1/4, रघुवीर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह हिस्सा 1/4, सुल्तान सिंह पुत्र कुशल सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत साकिन ईस्लामपुर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

2. यह कि जमाबन्दी संवत 2012 के खाता संख्या 64/2 के खसरा नम्बर 572 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 573 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि नम्बरदार/जागीरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन इस्माईलपुर की जागीरदारी में दर्ज रिकार्ड रही है।
3. यह कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 572 मीन व 573 मीन से हाल खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर निर्मित हुआ है।
4. यह कि जमाबन्दी संवत 2012 में गत खसरा नम्बर 572 व 573 के रकबा 18 बिस्वा भूमि को वादी का पड़दादा लादू पुत्र आशा जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा उपकृषक के रूप में काश्त करता था जो जमाबन्दी संवत 2012 व खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 तक में साबित है।
5. यह कि वादी के पड़दादा की मृत्यु के बाद उक्त भूमि को वादी का दादा चन्दगीराम पुत्र लादूराम जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा काश्त करता था तथा वादी के दादा की मृत्यु के पूर्व से ही उक्त भूमि को वादी का पिता मुंशीलाल कुमावत पुत्र चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा काश्त करता था। वादी के पिता की दिनांक 12.08.1991 को मृत्यु हो जाने के बाद वादी स्वयं व वादी की माता विमला देवी उक्त भूमि को काश्त करते थे। वादी की माता की दिनांक 21.02.2001 को मृत्यु हो जाने के बाद से वादी उक्त भूमि को काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में केवल बरसाती फसल यानि ज्यादातर बाजरा की फसल काश्त की गई है। वादग्रस्त भूमि गांव के गोरवा के नजदीक होने से काश्त फसल को अवारा पशु लगभग नष्ट कर देते है।
6. यह कि राज्य सरकार ने जागिर प्रथा खत्म कर जागीरदारों की भूमि के लिए राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 बनाया जिसके तहत जागीर भूमि में राज्य सरकार को भूमिधारी (लैण्ड होल्डर) के अधिकार धारा 22 के तहत प्राप्त हो गये तथा धारा 9 में जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का प्रावधान हुआ।
7. यह कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 (विक्रम संवत 2009) के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में उपकृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड थे उन्हे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (विक्रम संवत 2012) लागू होने पर कब्ज के आधार पर धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। वादी के हक पूर्वाधिकारी भी वादग्रस्त भूमि को राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 (विक्रम संवत 2009) के प्रभावी होने के पूर्व से ही काश्त करते थे। लेकिन उन्हे धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

नहीं किये गये जबकि वादी कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. यह कि जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 में वादग्रस्त भूमि को पुनः मूल नम्बरदार/जागीरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन इस्माईलपुर के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादग्रस्त भूमि को वादी के हक पूर्वाधिकारी व वादी लगातार काश्त करते आये है।
9. यह कि जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 में मूल नम्बरदार/जागीरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन ईस्माईलपुर की मृत्यू होने पर नामान्तरकरण संख्या 202 के जरिये जोरावर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह हिस्सा 1/4, रघुवीर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह हिस्सा 1/4, सुल्तान सिंह पुत्र कुशल सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत साकिन इस्माईलपुर के नाम विरासत दर्ज कर दी गई जो वर्तमान जमाबन्दी तक बदस्तुर चली आ रही है।
10. यह वादग्रस्त भूमि जागीरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन ईस्माईलपुर की जागीरदारी में दर्ज रही है। यह भूमि इनकी व्यक्तिगत/निजी खातेदारी भूमि नहीं थी।
11. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 के तहत 12 साल पश्चात मुखालफाना कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर ही काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार मिल जाते है।
12. यह कि ग्राम काकोड़ा रजवाड़ा के समय ठिकाना बिसाउ उप ठिकाना ईस्माईलपुर के अधीन आता था।
13. यह कि वादग्रस्त भूमि में संवत 2012 से संवत 2054 से 2057 तक पता ईस्माईलपुर दर्ज है तथा जब कम्प्यूटराईज जमाबन्दी तैयार की गई तब पता ईस्माईलपुर के स्थान ईस्लामपुर दर्ज कर दिया गया जो गलत है। सही पता ईस्माईलपुर है।
14. यह कि वादग्रस्त भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में दर्ज खातेदारों का कोई अता पता नहीं है। ये ना तो काकोड़ा में है व ना ही ईस्माईलपुर उप तहसील मण्ड्रेला में है। अगर ये अस्तित्व में होते तो आज तक अपने अधिकार दर्ज करवा चुके होते। वर्ष 1952 से आज तक 73 वर्ष तक भी आज तक उक्त भूमि पर अपनी दावेदारी जताने कोई नहीं आया है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों की निजी खातेदारी भूमि नहीं थी। यह जागीर भूमि रही है।
15. यह कि वाके राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 128 के हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

नम्बर क्रमशः 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 कुल किता 22 कुल रकबा 4.80 हेक्टेयर में से केवल वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 482 तथा अन्य खसरा नम्बर 481 ही मौके पर खाली है। शेष सभी खसरा नम्बरों पर मौके पर सघन आबादी बस चुकी है। केवल वादी की भूमि खसरा नम्बर 482 ही काश्त योग्य है। अन्य खसरा नम्बर 481 की भूमि मौके पर पड़त पड़ी है। वादी ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 482 के चारों ओर फसल की सुरक्षा हेतु तार बाड़ कर रखी है।

16. यह कि वादग्रस्त भूमि में विरासत या अन्य प्रकार का कोई भी नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के द्वारा दर्ज किया जाता है। इसलिये उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

17. यह कि दिनांक 12.08.1991 को वादी के पिता के देहान्त के समय वादी मात्र 9 साल का था। वादी की माता श्रीमती विमला देवी का भी दिनांक 21.02.2001 को देहान्त हो चुका है। वादी के एक भाई व 2 बहने है। भाई राजकुमार का भी दिनांक 13.12.2018 को सड़क दुर्घटना में अविवाहित ही देहान्त हो चुका है। वादी की 2 बहने शकुन्तला व मुकेश की शादी हो चुकी है। वे अपने ससुराल गांव बाकरा तह. झुंझुनूं में निवास कर रही है। वादग्रस्त भूमि केवल वादी के ही अधिकार क्षेत्र में है। वादी ही वादग्रस्त भूमि का एकमात्र स्वामी है।

18. यह कि लम्बे अर्से के पश्चात भी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी को नहीं मिलने के कारण वादी की भारी कानूनी हकतलफी हो रही है। इसलिये खातेदारी अधिकारों के लिए वादी को उक्त घोषणात्मक वाद पेश करना आवश्यक हुआ है, जो सावधि पेश है।

19. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ में स्थित होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् जी को प्राप्त है।

20. यह कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के क्रमांक 5 के अनुसार वाद अन्दर मियाद पेश है। वैसे भी घोषणात्मक वाद में कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

21. यह कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

22. यह कि वाद पत्र सम्पूर्ण दस्तोवज के साथ पेश है तथा वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र भी संलग्न है, जो दावे का भाग रहेगा।

23. यह कि वाद के समर्थन में 2 स्वतंत्र गवाहों के शपथ–पत्र संलग्न है जो वादग्रस्त भूमि की ताईद करते है।

24. **अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–**

(क) वाके राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 128 के हाल खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

किया जाकर तदानुसार रिकार्ड दुरूस्त कर वादी के नाम रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद कराया जावे।

25. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इस आशय का इकबाली जवाब दावा पेश हुआ कि :–

26. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 1 से 4 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है।

27. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 5 स्वीकार है।

28. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 6 व 7 कानूनी है। उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

29. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 8 मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि को पूर्व में वादी के हकपूर्वाधिकारी काश्त करते थे तथा वर्तमान में वादी काश्त करता आ रहा है।

30. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 9 मुताबिक राजस्व रिकार्ड के स्वीकार है।

31. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 10 स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों की निजी खातेदारी भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि जागीर भूमि रही है। यानि की ठिकाना की भूमि रही है।

32. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 11 कानूनी है। उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

33. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 12 स्वीकार है।

34. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 13 राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है।

35. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 14 स्वीकार है। वादग्रस्त भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में दर्ज खातेदारों का कोई अता पता नहीं है। ये ना तो काकोड़ा में है व ना ही ईस्माईलपुर उप तहसील मण्ड्रेला में है। अगर ये अस्तित्व में होते तो आज तक अपने अधिकार दर्ज करवा चुके होते। वर्ष 1952 से आज तक 73 वर्ष तक भी आज तक उक्त भूमि पर अपनी दावेदारी जताने कोई नहीं आया है।

36. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 15 स्वीकार है। वाके राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 128 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 कुल किता 22 कुल रकबा 4.80 हेक्टेयर में से केवल वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 482 तथा अन्य खसरा नम्बर 481 ही मौके पर खाली है। शेष सभी खसरा नम्बरों पर मौके पर सघन आबादी बस चुकी है। केवल वादी की भूमि खसरा नम्बर 482 ही काश्त योग्य है। अन्य खसरा नम्बर 481 की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

मौके पर पड़त पड़ी है। वादी ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 482 के चारों ओर फसल की सुरक्षा हेतु तार बाड़ कर रखी है।

37. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 16 व 17 स्वीकार है।

38. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 18 से 20 कानूनी होने से उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

39. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 21 कोर्ट फीस से संबंधित है। इसलिए उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

40. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 22 दस्तावेज व शपथ पत्र के संबंध में है। इसलिये उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

41. यह कि वाद पत्र का खण्ड संख्या 23 गवाहों के शपथ पत्रों के संबंध में है। इसलिये उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

42. यह कि वाद पत्र का अनुतोष खण्ड (क) स्वीकार है।

43. अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि :– वाके राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 128 के हाल खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार रिकार्ड दुरूस्त कर वादी के नाम रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद कराया जावे।

44. वादी की ओर से पत्रावली पर राजस्व साक्ष्य अभिलेख के रूप में राजस्व ग्राम काकोड़ा की नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 खाता संख्या नया 128, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 482, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग गत खसरा नम्बर 572 मीन, 573 मीन, हाल खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर, नकल जमाबन्दी संवत 2012 खाता संख्या 64/2, नकल जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 खाता संख्या 63, नकल जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 खाता संख्या 53, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 खसरा नम्बर 572, 573, पेश हुई तथा मौखिक साक्ष्य में विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री चन्दगीराम उम्र 62 साल जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1) व महीपाल पुत्र स्व. श्री बाबुलाल उम्र 48 वर्ष जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा का शपथ पत्र (पी.डब्लू–2) पेश हुये। वादी की ओर से इसके अतिरिक्त अन्य और कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई।

45. वादग्रस्त भूमि का स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा आज मौका देखा गया। मौके पर पाया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 482 के दक्षिण–पश्चिम कोने पर वादी द्वारा एक पानी की प्याऊ का निर्माण किया हुआ है तथा उक्त खसरा के बीचों–बीच एक बड़ा शीशम का व एक नीम का पेड़ लगा हुआ है तथा कुछ छोटे पेड़ शीशम के व कुछ फलदार पेड़ लगे हुये है। कुछ पत्थर व ईंटे भी डली हुई है। आस

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

पास के पड़ौसियों से पूछ–ताछ करने पर पाया कि खसरा नम्बर 482 के पश्चिम में खसरा नम्बर 481 पर मदन व धर्मपाल पुत्र स्व. श्री गणपत जाति कुम्हार काबिज काश्त है। उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 479 पर स्व. हीरालाल पुत्र स्व. श्री चन्दगीराम जाति कुम्हार के वारिस पवन, राधेश्याम व अनिल मकान बनाकर निवासरत है व कुछ भूमि मौके पर खाली पड़ी है। पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 483 पर स्व. बाबुलाल पुत्र स्व. श्री चन्दगीराम जाति कुम्हार के वारिस महीपाल, मनीराम, विक्रम मकान बनाकर निवासरत है व कुछ भूमि मौके पर खाली पड़ी है। दक्षिण दिशा में आम रास्ता खसरा नम्बर 433 स्थित है। आस पास के पड़ौसियों ने पूछताछ में बताया कि खसरा नम्बर 482 लम्बे अर्से से ही वादी की काश्त की भूमि रही है तथा आज भी इस भूमि में बारानी काश्त होती है।

46. उभय पक्षकारान के निवेदन पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व साक्ष्य अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर काश्त योग्य है। केवल पानी की एक प्याऊ के अलावा मौके पर किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। जमाबन्दी संवत 2012 के खाता संख्या 64/2 के खसरा नम्बर 572 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नम्बर 573 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि नम्बरदार/ जागीरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन इस्माईलपुर की जागीरदारी में दर्ज रिकार्ड रही है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नम्बर 572 मीन व 573 मीन से हाल खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर निर्मित हुआ है। जमाबन्दी संवत 2012 में गत खसरा नम्बर 572 व 573 के रकबा 18 बिस्वा भूमि को वादी का पड़दादा लादू पुत्र आशा जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा ने उपकृषक के रूप में काश्त किया है जो जमाबन्दी संवत 2012 व खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 तक में साबित है। यह कि राज्य सरकार ने जागिर प्रथा खत्म कर जागीरदारों की भूमि के लिए राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 बनाया जिसके तहत जागीर भूमि में राज्य सरकार को भूमिधारी (लैण्ड होल्डर) के अधिकार धारा 22 के तहत प्राप्त हो गये तथा धारा 9 में जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का प्रावधान हुआ। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 (विक्रम संवत 2009) के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में उपकृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड थे उन्हे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (विक्रम संवत 2012) लागू होने पर कब्जे के आधार पर धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

प्रदान कर दिये गये थे। वादी के हक पूर्वाधिकारी भी वादग्रस्त भूमि को राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 (विक्रम संवत 2009) के प्रभावी होने के पूर्व से ही काश्त करते थे। लेकिन उन्हे धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये जबकि वादी कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 में वादस्त भूमि को पुनः मूल जागीरदार /नम्बरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन ईस्माईलपुर के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि वादग्रस्त भूमि को वादी के हक पूर्वाधिकारी व वादी लगातार काश्त करते आये है। जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 में मूल जागीरदार/नम्बरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन ईस्माईलपुर की मृत्यू होने पर नामान्तरकरण संख्या 202 के जरिये जोरावर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह हिस्सा 1/4, रघुवीर सिंह पुत्र जसवन्त सिंह हिस्सा 1/4, सुल्तान सिंह पुत्र कुशल सिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत साकिन इस्माईलपुर के नाम विरासत दर्ज कर दी गई जो वर्तमान जमाबन्दी तक बदस्तुर चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार जसवन्त सिंह जी वल्द बलवन्त सिंह जी व सुगन सिंह जी वल्द ठाकुर कुशल सिंह जी कौम राजपूत साकिन ईस्माईलपुर की जागीरदारी में दर्ज रही है। यह भूमि इनकी व्यक्तिगत भूमि नहीं रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 के तहत 12 साल पश्चात मुखालफाना कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर ही काबिज काश्तकार को खातेदारी अधिकार मिल जाते है। जब ठिकाना खालसा हुआ उस समय ग्राम काकोड़ा ठिकाना बिसाउ उप ठिकाना ईस्माईलपुर के अधीन आता था। वादग्रस्त भूमि में संवत 2012 से संवत 2054 से 2057 तक पता ईस्माईलपुर दर्ज है तथा जब कम्प्यूटराईज जमाबन्दी तैयार की गई तब पता ईस्माईलपुर के स्थान ईस्लामपुर दर्ज कर दिया गया जो गलत है। ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में दर्ज खातेदारों का कोई अता पता नहीं है। ये ना तो काकोड़ा में है व ना ही ईस्माईलपुर में है। अगर ये अस्तित्व में होते तो आज तक अपने अधिकार दर्ज करवा चुके होते। वर्ष 1952 से आज तक 73 वर्ष तक भी आज तक उक्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपनी दावेदारी जताने कोई नहीं आया है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों की व्यक्तिगत भूमि नहीं रही है। यह जागीर भूमि रही है। ठिकाना खालसा होने पर जागिर रिज्यूम होकर मौके पर काश्त करने वाले उपकृषकों को उक्त भूमि की खातेदारी मिलनी चाहिए थी, जो उन्हे नहीं मिली। गवाहों के बयानों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त भूमि को वादी

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

अपने पिता के देहान्त के पश्चात से ही काश्त करता आ रहा है। यह भूमि पहले ठिकाना की रही है।

47. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी के वाद पत्र के अभिवचनों, पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, इकबाली जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 तथा गवाह बयानों के आधार पर वादी का वाद संदेह से परे साबित होता है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :—

48. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 128 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर सम्पूर्ण का वर्तमान दर्ज खातेदारों के स्थान पर वादी को एकांकी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार (भू.अ.) सूरजगढ को आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ के नाम निर्णय की प्रति सहित तहरीर जारी हो। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

49. निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री मुंशीलाल कुमावत उम्र 43 वर्ष जाति कुम्हार निवासी काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) (9636028367)

.....वादी

– ब ना म –

1. सरपंच ग्राम पंचायत काकोड़ा पंचायत समिति सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0)

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
मुकदमा नम्बर :– 242/2025
GCMS NO. 2025/63
निर्णय दिनांक :– 18.07.2025

वादी की ओर से **स्वयं वादी** की व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से **स्वयं प्रतिवादी संख्या 1** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **18.07.2025** को **सुमन देवी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष **अंतिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या नया 128 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 482 रकबा 0.23 हेक्टेयर सम्पूर्ण का वर्तमान दर्ज खातेदारों के स्थान पर वादी को एकांकी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का तहसीलदार (भू.अ.) सूरजगढ को आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ के नाम निर्णय की प्रति सहित तहरीर जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **18.07.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ